कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का क्या रुख है?

लेखक - कल्लोल भट्टाचर्जी (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

19 अगस्त, 2019

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य भारत और पाकिस्तान से इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या करने का आग्रह कर रहे हैं?

शुक्रवार, 16 अगस्त को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) ने कश्मीर के हालात पर 'आपात बैठक' की। यह बैठक बंद कमरे में हुई। विदित हो कि 5 अगस्त को, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर (J-K) को अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35A के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करते हुए इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों अर्थात् J-K और लद्दाख में तब्दील कर दिया था। घाटी को लॉकडाउन (यह एक आपातकालीन प्रोटोकॉल है) पर रखा गया था और मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों को शुक्रवार को UNSC की बैठक से बाहर रखा गया।

आखिरी बार भारत-पाकिस्तान के मुद्दे को UNSC में दिसंबर, 1971 में ले जाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के निर्माण के लिए एक युद्ध लड़ा था। 1965 के युद्ध के दौरान भी इसकी चर्चा हुई थी, जब भारतीय और पाकिस्तानी सेना कश्मीर और पश्चिमी सीमाओं पर भिड़ गई थी। पिछले सोमवार को अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान ने यूएनएससी को पत्र लिखा था। चीन, यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य और पाकिस्तान का एक सहयोगी है, इसने ही कश्मीर के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए यूएनएससी की बैठक की मांग की थी।

यूएनएससी में क्या हुई चर्चा?

यूएनएससी ने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया है, लेकिन बैठक के बाद भारत ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद-370 के आस पास के मुद्दे और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने की बात आंतरिक मामला था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत, सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान और चीन पर आरोप लगाया कि वे कश्मीर में स्थिति को श्भयावह नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर है। एक प्रश्न जो उठाया गया है, वह कश्मीर घाटी की स्थिति के बारे में है।

यूएनएससी ने पहली बार J-K की चर्चा कब की?

संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा 1 जनवरी, 1948 को सामने आया था। वर्ष 1947 में कबाइली आक्रमण के बाद जम्मू-कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए। भारतीय फौज मदद् के लिए पहुंची और वहाँ उसका पख्तून कबाइली लोगों और पाकिस्तानी फौज से संघर्ष हुआ।

21 अप्रैल, 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव संख्या-47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जम्मू-कश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रित तरीके से तय होना चाहिए। इसके लिए एक शर्त तय की गई थी कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी नागरिक या कबाइली लोग आए थे, वे वापस चले जाएं।

भारत की ओर से स्थानीय आबादी और बुनियादी ढांचे पर अनियमितताओं के कारण फैली हिंसा का विवरण यूएनएससी में 'जम्मू और कश्मीर प्रश्न पर' बनाया गया था। इस शीर्षक को 22 जनवरी, 1948 को 'भारत-पाकिस्तान प्रश्न' में बदल दिया गया था। अपने मूल से 1971 तक, यह विषय विशेष रूप से UNSC में प्रदर्शित हुआ, जब दोनों देश आपस में भिड़ गए।

20 जनवरी, 1948 को संकल्प-39 के तहत, यूएनएससी ने भारत और पाकिस्तान के लिए तीन सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईपी) की स्थापना की। भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति पहली असफलता के रूप में प्रदर्शित हुई क्योंकि आयोग इसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने में विफल रहा था। गौरतलब हो कि यूएनसीआईपी ने 5 जनवरी, 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कश्मीर में 'स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत' रखने के लिए तंत्र प्रदान किया गया था।

जनमत की योजना क्यों बनी?

1947-48 भारत-पाकिस्तान युद्ध एक संघर्ष-विराम के साथ समाप्त हो गया, लेकिन कश्मीर समाधान अभी भी समस्याग्रस्त था। जनमत संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त थी पाकिस्तान को उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों से हटाना और भारत द्वारा ऐसे लोगों को वापस करना, जो राज्य के निवासी नहीं थे। हालांकि, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों पक्ष अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करने में जुट गये। भारत द्वारा कश्मीर मुद्दे को 'त्वरित और प्रभावी कार्रवाई' के लिए संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ।

कश्मीर मुद्दे पर शिमला समझौते की प्रासंगिकता क्या है?

2 जुलाई, 1972 के शिमला समझौते के तहत, भारत ने पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी कर लिया कि कश्मीर संघर्ष को द्विपक्षीय रूप से हल किया जाएगा। पाकिस्तान ने 1974 के इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके इस मुद्दे को जीवित रखा, जहाँ पाकिस्तान ने अपने प्रमुख विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए इस्लामी दुनिया को निवेदन करना शुरू कर दिया।

उत्तरी क्षेत्र और आजाद कश्मीर भारतीय रियासत राज्य जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र थे, जो जनमत संग्रह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 'परिग्रहण' के मामले ने पाकिस्तान के जनमत संग्रह की शर्तों के अनुसार काम करने के अवसर को बर्बाद कर दिया। इन परिस्थितियों में, कश्मीर एक राजनीतिक समस्या की तुलना में कानूनी समस्या के रूप में अधिक जटिल है, जिसे दक्षिण एशिया की दो शक्तियों द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

यूएनएससी के सदस्यों ने क्या कहा है?

उनमें से कई ने भारत और पाकिस्तान से इस मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने का आग्रह किया है - जैसा कि भारत ने भी तर्क दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र के पास गए थे, लेकिन नियंत्रण रेखा पर बढ़े सैन्य तनाव और दोनों तरफ की जमीनी स्थिति बताती है कि यूएनएससी ने कश्मीर पर अपने प्रारंभिक प्रस्तावों को पारित करने की जो स्थिति बताई है, उसका लंबे समय तक कोई मतलब नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इस मुद्दे पर चर्चा करना कई कारणों से मुश्किल होगा। सबसे पहला, दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) ने अपने राज्यों के संघ में संबंधित नियंत्रण के तहत क्षेत्रों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को जारी रखा है। दूसरा, दोनों पक्ष द्विपक्षीय रूप से इससे निपटने के लिए सहमत हुए थे।

GS World Committed to Excellence

कश्मीर विवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर चीन की मांग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की इमरजेंसी बैठक खत्म हो गई है।
- यह बैठक बंद कमरे में हुई। सुरक्षा परिषद् के मौजूदा अध्यक्ष पोलैंड ने इस मुद्दे को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए जाने की जानकारी दी।
- इस बैठक में UNSC के 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हुए।
- बैठक में भारत के पक्ष में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका खड़े हुए। रूस ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताया। वहीं कश्मीर के मुद्दे पर चीन ने कहा कि वह कश्मीर के मसले पर चिंतित है।
- कश्मीर के हालात तनावपूर्ण और खतरनाक हैं। कश्मीर मुद्दे पर चीन ने एकतरफा कार्रवाई से बचने की सलाह दी।

भारत ने क्या कहा?

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने कहा कि अनुच्छेद-370 भारत का आंतरिक मामला है। जम्मू -कश्मीर का फैसला सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हुआ है।
- इस फैसले से बाहरी लोगों का कोई मतलब नहीं है। एक देश जम्मू-कश्मीर को लेकर जेहाद और हिंसा की बातें कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में पाबंदियां धीरे-धीरे हटेंगीं।
- चीन ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी।
- इससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर मसले पर खुले में वार्ता के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने की मांग की थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने ठुकरा दिया था।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा 1 जनवरी, 1948 को सामने आया था। वर्ष 1947 में कबाइली आक्रमण के बाद जम्मू कश्मीर के महाराज हरिसिंह ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय फौज मदद् के लिए पहुंची और वहाँ उसका पख्तून कबाइली लोगों और पाकिस्तानी फौज से संघर्ष हुआ।
- 17 जनवरी, 1948 को प्रस्ताव-38 में दोनों पक्षों से अपील की गई कि वे हालात को और न बिगड़ने दें, इसके लिए दोनों पक्ष अपनी शक्तियों के अधीन हरसंभव कोशिश करें। साथ ही भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाएं और अपने मार्गदर्शन में दोनों पक्षों में सीधी बातचीत कराएं।
- 20 जनवरी, 1948 को प्रस्ताव संख्या-39 में सुरक्षा परिषद् ने एक तीन सदस्यीय आयोग बनाने का फैसला किया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की ओर से एक-एक सदस्य और एक सदस्य दोनों चुने हुए सदस्यों की ओर से नामित किया जाना तय किया गया। इस आयोग को तुरंत मौके पर पहुंचकर तथ्यों की जांच करने का आदेश दिया गया।
- 21 अप्रैल, 1948 को प्रस्ताव संख्या-47 में जनमत संग्रह पर सहमति बनी। प्रस्ताव में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू-कश्मीर पर नियंत्रण का मुद्दा जनमत संग्रह के स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रित तरीके से तय होना चाहिए।
- इसके लिए एक शर्त तय की गई थी कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी नागरिक या कबाइली लोग आए थे, वे वापस चले जाएं।
- लेकिन 1950 के दशक में भारत ने यह कहते हुए इससे दूरी बना ली कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह राज्य से नहीं हटी और साथ ही इस भू-भाग के भारतीय राज्य का दर्जा तो वहाँ हुए चुनाव के साथ ही तय हो गया।
- फिर 1971 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग के बाद साल 1972 में शिमला समझौता अस्तित्व में आया।
- इसमें सुनिश्चित कर दिया गया कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा और दोनों देश मिलकर ही इस मसले को सुलझाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

- सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था।
- सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य हैं-अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है।
- इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है।
- इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद् में शामिल किया जाता है।
- स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिये परिषद् के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
- अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उदेश्य सुरक्षा परिषद् में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है।
- अस्थायी सदस्यता के लिये सदस्य देशों द्वारा चुनाव किया जाता

है। इसमें पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, दो दक्षिण अमेरिकी देशों से, एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं।

- भारत इसके पहले 7 बार 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 की समयावधियों में अस्थायी सदस्य रह चुका है।

स्थायी सीट से भारत को क्या होंगे लाभ?

- भारत महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद् मिलेगी।
- भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा।
- पीओके तथा बलूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम हो पाएगा।
- देश का सामाजिक-आर्थिक विकास कर पाएगा
- स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू-राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी।
- सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी।
- सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिये तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी निर्णय जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है।
2. इस परिषद् के 10 अस्थाई सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा किया जाता है।
3. इस परिषद् की अनौपचारिक बैठक का न कोई रिकॉर्ड रखा जाता है, न कोई वोटिंग होती है न कोई प्रस्ताव पास होता है, न कोई बयान जारी होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements regarding to the United Nations Security Council-

1. It is the only body of a United Nations to issue binding decisions for member countries..
2. The 10 non permanent members of this council are elected by the General Assembly on a regional basis for a period for two years
3. No record of informal meetings of this council's are kept, no voting is done, no resolution is passed, no statement is issued.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) 1 and 2 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Discuss the efforts made by the UN Security Council so far on the issue of Kashmir.?

(250 Words)

नोट : 17 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।